"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 435 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2017 — आश्विन 12, शक 1939

### आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–14/2011/32. – छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 85 की उप–धारा (1) सहपठित धारा 24 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश विकसित भूमियों, गृहों, भवनों तथा अन्य संरचनाओं का व्ययन नियम, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 85 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :–

### संशोधन

उक्त नियमों में,–

नियम 47 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"47. (क) पट्टेदार, जो प्राधिकारी से भूखण्ड अभिप्राप्त करता है उस वित्तीय वर्ष के 1 जून या उससे पूर्व, जिसमें पट्टा निष्पादित किया गया हो, भू–भाटक या पट्टा भाटक (लीज रेंट) के रूप में ऐसी रकम को अग्रिम में वार्षिक रुप से भुगतान करेगा जैसा कि प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये। भू–भाटक या पट्टा भाटक (लीज रेंट) के रूप में भुगतान की जाने वाली रकम, भूमि के उस कुल क्षेत्र के संबंध में, जिसका भूखण्ड, एक भाग है, प्राधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर/राजस्व विभाग को देय भू–भाटक या पट्टा भाटक (लीज रेंट) पर 10 प्रतिशत सेवा प्रभार जोड़कर, परिगणित की जायेगी और तत्पश्चात् ऐसी रकम कुल क्षेत्र में समाविष्ट समस्त भूखण्डों पर अनुपातिक रूप से विभाजित कर दी जायेगी;

(ख) उन मामलों में, जहां प्राधिकारी ने किसी भूमि पर यथास्थिति, कोई आवासीय इकाईयां, वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स या कार्यालय भवन निर्मित किये हों अथवा पट्टे पर दिये हों, ऐसे मामले में भू–भाटक अथवा पट्टा भाटक (लीज रेंट), उस भूमि के संबंध में जिला कलेक्टर/राजस्व विभाग को इस प्रकार देय भू–भाटक या पट्टा भाटक (लीज रेंट) पर 10 प्रतिशत सेवा प्रभार जोड़कर, परिगणित की जायेगी। ऐसी भूमि के कुल निर्मित क्षेत्र पर अनुपातिक रूप से विभाजित करते हुये प्राधिकारी द्वारा भाटक (रेन्ट) उद्ग्रहित किया जायेगा और यथास्थिति, आवासीय इकाईयों, वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स या कार्यालय भवन का प्रत्येक पट्टेदार, उसके द्वारा पट्टे पर धारित क्षेत्र के आधार पर पट्टे की ऐसी विभाजित अनुपातिक रकम, प्राधिकारी को भुगतान करेगा :

परन्तु यह कि इस संशोधित नियम के प्रवृत्त होने के पूर्व निष्पादित पट्टे के मामले में, भू–भाटक या पट्टा भाटक (लीज रेंट), प्राधिकारी तथा पट्टेदार के मध्य करार के शर्तों के अनुसार देय होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रेजीना टोप्पो**, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ 3–14 / 2011 / 32. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04–01–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल की प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रेजीना टोप्पो**, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 4th October 2017

NOTIFICATION

No. F 3-14/2011/32. – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of section 24 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Vikasit Bhoomiyo, Griho, Bhavano Tatha Anya Sanrachanao Ka Vyayan Niyam, 1975 , the same having been previously published as required under sub-section (1) of Section 85 of the said Adhiniyam, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

For rules 47, the following shall be substituted, namely :-

"47. (a) The lessee, who acquires a plot from the Authority, shall annually pay in advance such amount as ground rent or lease rent, on or before 1st June of the financial year, in which the lease is executed, as determined by the Authority. The amount to be paid as ground rent or lease rent shall be calculated by adding 10 percent service charge to ground rent or lease rent payable by the Authority to the District Collector/Revenue Department in respect of the total area of the land of which the land plot is a part and then such amount shall be divided proportionally on all the plots comprised within the total area;

(b) In cases where the Authority has constructed any dwelling units, commercial complex or office building, as the case may be, on any land or gave on lease, in such case rent on the land or lease rent shall be calculated by adding 10 percent service charge to ground rent or lease rent thereby payable to District Collector/Revenue Department in respect of that land. The rent shall be levied by the Authority by dividing proportionally on the total built up area of such land and each lease holder of dwelling units, commercial complex or office building, as the case may be, shall pay such divided proportionate amount of lease to the authority on the basis of area held on lease by him:

Provided that, in the case of lease executed prior to enforcement of this amended rule, the rent of land or lease rent shall be payable as per the terms of agreement between Authority and lessee."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.